Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

ओमप्रकाश पुत्र श्यचेभगवान जाति ब्राहमण साकिन सूरतगढ़ हाल कूपली तहसील श्रीविजयनगर

बनाम

भीखाराम (फौत) जरिये मामकौरी पत्नी भीखाराम जाति स्वामी साकिन वार्ड न. 19 सूरतगढ़ व अन्य

किस्म मुकदमा– अपील प्र0सं0 :– 76/2023 जीसीएमएस न. 76/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
13.10.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट व वकील रेस्पोडेंट संख्या 1/5 तथा वकील रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 4 हाजिर। वकील रेस्पोडेंट संख्या 1/5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 18.09.2025 पर वहस सुनी गई। वकील रेस्पोडेंट संख्या 1/5 ने दौराने वहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि उक्त अनवान की अपील माननीय न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट ओमप्रकाश पुत्र श्योभगवान के द्वारा तहसीलदार (भू–अभि.) सूरतगढ़ के द्वारा दिनांक 31.03.2023 को कस्बा सूरतगढ़ की खसरा संख्या 206/2 की 5–14 वीघा, 206/3 की 3–07 वीघा, 208/6 की 3–07 वीघा, 206/6 की 5–19 वीघा व 492/6 की 25–00 वीघा कुल 40–00 वीघा बारानी भूमि के प्रदान किये गये खातेदारी अधिकार में से खसरा नं. 492/6 की 25–00 वीघा बारानी भूमि के विरूद्ध आंशिक अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की हुई है। जोकि जैरकार है। उक्त भूमि के सम्वंध में पारित आदेश दिनांक 31.03.2023 के विरूद्ध उतरवादी सं. 5 तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा एक अपील संख्या 21/2023 अनवान सरकार बनाम भीखाराम पुत्र जोधाराम (मृतक) की न्यायालय जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर के समक्ष पेश की हुई है। जिसमें एक तरफा स्थगन आदेश भी मौका व रिकार्ड की यथास्थिति वनाये रखने का प्राप्त किया हुआ है। जिसकी पूर्ण रूप से जानकारी उत्तरवादी सं. 5 व अपीलान्ट को है। उक्त अपील में अंकित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील माननीय न्यायालय जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर के समक्ष विचाराधीन होने के कारण प्रार्थी माननीय न्यायालय के समक्ष जैरकार अपील में कार्यवाही स्थगित करवाना चाहता है। क्योंकि एक ही आदेश के विरूद्ध विचाराधीन अपीलों में अलग–अलग आदेश पारित होने से उत्तरवादीगण के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की पूर्ण सम्भावना है जोकि कतई न्यायोचित नहीं होगा। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए हस्तगत अपील में की जाने वाली आगामी कार्यवाही को स्थगित किये जाने का आदेश दिये जावे। वकील रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 4 ने अपनी बहस में वकील रेस्पोडेंट संख्या 1/5 के कथनों का समर्थन करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील अपीलांट ने दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने इसके बाबत कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है तथा श्रीमान जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर के समक्ष जैरकार अपील 21/23 में अप्रार्थी/अपीलांट पक्षकार भी नहीं है इसलिए दोनों अपीलों के पक्षकार भिन्न भिन्न है। अनुतोष भी भिन्न भिन्न है, इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य हैं। अपील संख्या 21/23 में नही है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ के फैसलों के विरूद्ध अतिरिक्त कलेक्टर सूरतगढ़ के समक्ष ही अपील पेश हो सकती है इसलिए श्रीमान न्यायालय के समक्ष जैरकार अपील विधि सम्मत है व चलने योग्य है। रेस्पोडेंट संख्या 1/5 ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर के समक्ष जैरकार अपील बाबत् कोई साक्ष्य पेश नहीं किया हैं तथा प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र किस धारा में पेश किया है, कोई भी धारा का अंकन प्रार्थना पत्र में नहीं किया है। इसके अलावा श्रीमान तहसीलदा[illegible] के फैसलों के विरूद्ध अतिरिक्त कलेक्टर सूरतगढ़ को ही अपील सुनने का अधिकार है इसलिए यह अपील पूर्णतया विधि सम्मत है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक [illegible].2024 पूर्णतया आधारहीन व प्रार्थना पत्र विधि के प्रावधानों के विपरीत [illegible] व केवल मात्र अपीलांट को परेशान करने के लिये पेश होने से [illegible] खारीज किया जावे व दोनों की बहस सुनकर उक्त अपील का मैरिट पर नि[illegible] किया जावें।	

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2025.11.24 17:24:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। जिससे पाया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 31.03.2023 द्वारा मृतक भीखाराम के नाम राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनाथ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 18 के तहत कस्बा सूरतगढ़ की खसरा संख्या 206/2 की 5–14 बीघा, 206/3 की 3–07 बीघा, 208/6 की 3–07 बीघा, 206/6 की 5–19 बीघा व 492/6 की 25–00 बीघा कुल 40–00 बीघा बारानी भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। जिसमें से खसरा न. 492/6 की 25.00 बीघा बारानी भूमि के विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई है। जबकि तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा माननीय न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के समक्ष उक्त 40.00 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकार निरस्त करने बाबत अपील पेश की गई है। इस प्रकार माननीय न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर में जैरकार अपील के अनुतोष व वर्णित भूमि तथा हस्तगत अपील के अनुतोष व वर्णित भूमि एक ही है। चूंकि जब माननीय न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर में अपील जैरकार है तो इस उक्त प्रकरण के निर्णय तक हम हस्तगत अपील में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही करना हम उचित नहीं समझते है। अतः रेस्पोडेंट संख्या 1/5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा माननीय न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर में जैरकार अपील संख्या 21/2023 व अनवान सरकार बनाम भिखाराम पुत्र जोधाराम (मृतक) के निर्णय तक हस्तगत अपील में कार्यवाही स्थगित (Pending) रखी जाती है। पत्रावली इसी स्तर पर नम्बर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दीनानाथ बब्बल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2025.11.24 17:24:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner